

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27.10.25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली दिनांक 18.9.25 से साक्ष्यवाही में लंबित है परंतु दिनांक 18.9.25 से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं आया। न्यायालय में साक्ष्यवाही पेश करने हेतु पूर्व में अतिरिक्त अवसर दिये जा चुके हैं परंतु आज दिनांक को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह साबित होगा कि वादी अपने वादपत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता व न्यायालय का अनावश्यक समय जाया कर रहे हैं। इस कारण उक्त दावा CPC के 017R3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी अदालत के दाखिल दफ्तर हो क नंबर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
करौली (राजग.)